भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला

(भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग की यूनिट)

नवरंगपुरा, अहमदाबाद – 380 009

<u>भाग- क</u>

<u>तकनीकी-वाणिज्यिक बोली</u>

कार्य का नाम: एन आई टी संख्या: PRL/ADM-GN/Catering/2018-2019/03 दिनांक 15.05.2018
पीआरएल अहमदाबाद के नवरंगपुरा और थलतेज परिसर में कैंटीन, अतिथि गृह और छात्रावास चलाने और रखरखाव के लिए वार्षिक दर अनुबंध

जारीकर्ता: मैसर्स भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद

मैसर्स ____ को जारी किया गया

पीआरएल रसीद सं.: ____________________ दिनांक ______________ रु.________

जारीकर्ता:

ध्यान दें: तकनीकी बोली के सभी पृष्ठों पर मुहर के साथ ठेकेदार का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

भाग- क

अंतरिक्ष विभाग के तत्वावधान में अंतरिक्ष विज्ञान और संबंधित गतिविधियों पर अनुसंधान कार्य करने वाला एक प्रमुख संस्थान भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद में नवरंगपुरा और थलतेज कैंपस में कैंटीन, अतिथि गृह और छात्रावास के खानपान और रखरखाव के लिए केन्द्रीय/ राज्य सरकार/स्वायत्त यूनिटों में कैंटीन/खानपान सेवाएं चलाने में न्यूनतम तीन साल का अनुभव रखने वाले व्यवसायिक रूप से योग्य एजेंसियों से दो भागों (तकनीकी-वाणिज्यिक और मूल्य बोली) में निविदाएं आमंत्रित करता है।

I. कार्य का संक्षिप्त विवरण:

1. एक वर्ष की अवधि के लिए दर अनुबंध आधार पर थलतेज कैंपस में कैंटीन, गेस्ट हाउस और छात्रावास चलाने और रखरखाव करना

   a.थलतेज परिसर में पीआरएल के कर्मचारियों और छात्रों के लिए नाश्ता लंच, शाम का स्नैक्स, और चाय/कॉफी प्रदान करना।

   b.छात्रावास / वीआईपी सूट / ट्रांजिट आवास में छात्रों और मेहमानों के लिए साल भर सभी 365 दिनों में चाय / कॉफी, नाश्ता, वेज / नॉनवेज भोजन, स्नैक्स, डिनर इत्यादि प्रदान (लगभग 100 नं.प्रति दिन)

2. पीआरएल अहमदाबाद के नवरंगपुरा परिसर में एक वर्ष के लिए कैंटीन**,** अतिथि गृह और छात्रावास चलाना और रखरखाव

---

a. छात्रावास और गेस्ट हाउस में छात्रों और मेहमानों के लिए चाय / कॉफी, नाश्ता, वेज / नॉनवेज भोजन, स्नैक्स, इत्यादि प्रदान (लगभग 50 नं.प्रति दिन)

b. कार्यालय दिनों में (सोमवार से शुक्रवार) नाश्ता और डिनर प्रदान

c. शनिवार, रविवार और अन्य सार्वजनिक छुट्टियों पर नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना उपलब्ध कराना

3. डाइनिंग हॉल, रसोईघर, स्टोर रूम, वॉश एरिया, फर्नीचर और फिक्स्चर, बर्तन, कटलरी / क्रॉकरी इत्यादि की दिन-प्रतिदिन की सफाई सहित पूरे कैंटीन परिसर का रखरखाव

4. नवरंगपुरा और थलतेज में पीआरएल गेस्ट हाउस और छात्र छात्रावास का रखरखाव

5. सभी गेस्ट हाउस से संबंधित गतिविधियों का ख्याल रखना, जिसमें रिसेप्शन और कमरों के रखरखाव, मेहमानों का ध्यान रखना, रजिस्टरों का रखरखाव इत्यादि शामिल हैं

II. सामान्य नियम और शर्तें :--

1. **कार्मिकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण:** ठेकेदार कार्य के लिए गुजराती, अंग्रेजी या हिंदी में अच्छे संचार कौशल केटरिंग और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में केयर टेकर और कैंटीन पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा।

   ठेकेदार को कैंटीन गेस्ट हाउस और छात्रावास चलाने और रखरखाव के लिए कार्मिकों की नियुक्ति करनी होगी। कार्मिक न्यूनतम मानक शिक्षा सहित पर्याप्त अनुभव और प्रशिक्षित तथा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उनका व्यवहार शिष्ट होना चाहिए और प्रतिदिन कार्यालय में आई.डी. कार्ड, वर्दी या आवश्यक परिधान में उपस्थित होना चाहिए।

2. **पर्यवेक्षण:** प्रभारी अधिकारी, पीआरएल से निर्देश लेने के लिए और दैनिक देखरेख के लिए पूरे दिन के लिए पर्यवेक्षक उपलब्ध कराना होगा।

3. **भारत सरकार, राज्य सरकार के सांविधिक नियमों और विनियमों का अनुपालन:** ठेकेदार खाद्य नियंत्रण अधिनियम, श्रम पंजीकरण और उन्मूलन, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, न्यूनतम वेतन अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, श्रमिक मुआवजा अधिनियम आदि से जुड़े कैंटीन और खानपान सेवाओं के संचालन और रखरखाव के लिए प्रासंगिक वैधानिक नियमों का पालन करेगा वैधानिक नियमों का अनुपालन करेगा और आवश्यक पड़ने पर पंजीकरण दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

4. ठेकेदार की जिम्मेदारी:

   a) ठेकेदार पीआरएल कैंटीन परिसर (नवरंगपुरा और थलतेज कैंपस) में अपने कर्मियों को समय-समय पर प्रदान किए गए सूची के अनुसार कर्मचारियों, छात्रों और पीआरएल के अतिथियों को नाश्ता, दोपहर का खाना, स्नैक्स, पेय पदार्थ, डिनर इत्यादि के लिए खाना पकाने और सेवा करने के लिए तैनात करेगा।

   b) कैंटीन, भोजन क्षेत्र, रसोईघर, भंडार, गलियारों, भवन के आस-पास के क्षेत्रों की सफाई और उपकरण, बर्तन और क्रॉकरियों के सामान का दिन-प्रतिदिन रखरखाव आदि।

   c) सेवाएं सुबह 0800 बजे से रात के 1000 बजे तक या पीआरएल द्वारा समय-समय पर तय अनुसार दी जाएगी।

   d. सूची के अनुसार खाना पकाने और नाश्ते, दोपहर का भोजन, चाय / कॉफी, शीतल पेय, स्नैक्स इत्यादि की सेवा और समय-समय पर जारी की गई आवश्यकताओं और निर्देशों के अनुसार कैंटीन परिसर में सेवा।

   e. आवश्यकताओं के अनुसार विशेष अवसरों पर लंच/ रात्रिभोज, जलपान तैयार और सर्व करना।

   f. पीआरएल और ठेकेदार द्वारा पारस्परिक रूप से तय किए गए निश्चित दर पर थलतेज कैंटीन में पीआरएल कर्मचारियों को दोपहर का भोजन सर्व।

   g. ठेकेदार डाइनिंग हॉल, रसोई और पूरे कैंटीन परिसर के दिन-प्रतिदिन पर्यवेक्षण के लिए योग्य कर्मियों को तैनात करते समय और रखने के दौरान अत्यधिक सावधानी और प्रयास करेंगे।

h. रसोई के बर्तनों और बिजली जैसी अन्य वस्तुएं पीआरएल द्वारा मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए बने स्थान और उपकरण केरखरखाव और उसका उपयोग करने का कर्तव्य ठेकेदार का होगा।

i. उपकरण, बर्तनों के उपयोग का रजिस्टर और बिल रखना, और टूटने या चोरी होने पर तत्काल प्रतिस्थापन के लिए पीआरएल को सूचित करना।

j. रसोई के लिए पानी और बिजली जैसी वस्तुएं पीआरएल द्वारा मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। ठेकेदार विद्युत ऊर्जा और पानी को किफायत से उपयोग करेगा और कैंटीन को साफ और शुष्क स्थिति में रखेगा।

k. ठेकेदार को एलपीजी गैस सिलिंडर प्रदान किया जाएगा। परिवहन और आकस्मिक शुल्क सहित एलपीजी रीफिलिंग की पूरी लागत ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। एलपीजी सिलेंडर की अनुपलब्धता के मामले में या किसी अन्य कारणों के लिए ठेकेदार को वैकल्पिक व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इसके लिए ठेकेदार द्वारा आवश्यक रिकॉर्ड और बिल रखना होगा और मासिक आधार पर कैंटिन सुपरवाइजर, पीआरएल को जमा करना होगा।

l. चोरी, या काम में लगे किसी भी कर्मचारी के दुर्व्यवहार आदि के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

5. सफाई: ठेकेदार भोजन की तैयारी में स्वच्छता का ध्यान रखेगा। ठेकेदार स्टोर रूम, पेंट्री / रसोई, डाइनिंग हॉल, फर्नीचर और फिक्स्चर को स्वच्छ रखेगा, सुरक्षित सफाई सामग्री के साथ फर्श की सफाई और फर्श के रखरखाव द्वारा कैंटीन परिसर में स्वच्छता बनाए रखेगा।

6. गुणवत्ता वाले कच्चे माल और स्टॉक का उपयोग: ठेकेदार कच्ची सामग्री, सब्जियां और अच्छी और मानक गुणवत्ता की किराने का सामान अपनी लागत पर खरीदेगा और खाना पकाने से पहले इसे पूरी तरह साफ़ करेगा। ठेकेदार स्टोर आइटम का स्टॉक बनाए रखेगा और जांच के लिए आवश्यक रजिस्ट्रार और दस्तावेज का रखरखाव करेगा।

7. रिकॉर्ड और खाते का रखरखाव: ठेकेदार पीआरएल और अन्य बाहरी पार्टी के साथ पीआरएल के कार्य से संबंधित किसी भी तरह के लेनदेन के लिए जरूरी बिल और रसीद रखेगा। उचित खाता और समर्थन दस्तावेजों को रखने में विफल होने पर ठेकेदार द्वारा किए गए किसी भी वित्तीय या वस्तुगत हानि के लिए पीआरएल जिम्मेदार नहीं होगा।

8. सेवाएं: ठेकेदार कैंटीन परिसर में स्वच्छता बनाए रखने में अत्यधिक ध्यान रखेगा; कर्मचारियों, छात्रों और मेहमानों को आतिथ्य के साथ अच्छा भोजन प्रदान करेगा। कैंटीन स्टाफ नियमित पीआरएल के नियमों का पालन करेगा। पीआरएल ठेकेदार से उनके किसी भी कर्मचारी को सेवा से हटाने के आदेश का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि कैंटीन प्रबंधक की विचार में, वे ऐसी किसी भी गतिविधि/व्यवहार में लीन हों जो इस निविदा की शर्तों और भावना के विपरीत हो।

9.सुरक्षा: ठेकेदार रसोईघर में तैनात अपने कर्मियों के काम और उपकरणों के उपयोग के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार और उनके कर्मियों को कैंटीन की स्वच्छता बनाए रखने और रखरखाव के लिए और ध्यान से भोजन परोसने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा। निष्पादन के दौरान कोई दुर्घटना या अन्य कारणों से हुई चोट के कारण हुई नुकसान या क्षति के लिए पी.आर.एल. जिम्मेदार नहीं होगा और ठेकेदार सुरक्षा कार्यों के लिए नियुक्त किए गए अपने कर्मियों के मुआवजे, चिकित्सा सुविधा या बीमा के लिए स्वयं व्यवस्था करेगा।

10. सेवाएं चलाने के लिए ठेकेदार को प्रदान की गई फिटिंग और फिक्स्चर, फर्नीचर इत्यादि के साथ कैंटीन परिसर पीआरएल की संपत्ति होगी।

11. पीआरएल की किसी भी संपत्ति पर ठेकेदार का कोई अधिकार नहीं होगा और मांगे जाने पर पीआरएल को दे देगा।

12. ठेकेदार कैंटिन के सभी चल अचल उपकरणों की सुरक्षा और अन्य संपत्तियों के उचित उपयोग, मरम्मत और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होगा।

13. ठेकेदार या उसके कर्मचारियों की लापरवाही से उपकरणों या संपत्तियों के कारण होने वाली किसी भी क्षति को ठेकेदार द्वारा तुरंत पीआरएल को बिना किसी नुकसान के, ठीक कर दिया जाएगा, और विफल होने पर ठेकेदार को देय बकाया राशि या सुरक्षा जमा पीआरएल द्वारा यथोचित उपाय से उपकरण/संपत्तियों की लागत वसूल की जाएगी।

14.ऐसी वसूली पर, जब सुरक्षा जमा कम हो जाए तो उसे ठेकेदार द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति किया जाना चाहिए।

15. रसोई, बर्तन, और डाइनिंग टेबल, सर्विंग प्लेट्स, ग्लास, एसएस टंम्बलर आदि में अच्छी सफाई के सामान द्वारा उच्च कोटि की स्वच्छता बनाए रखें। नियुक्त कर्मचारी को चिकित्सकीय रूप से फिट और रोगमुक्त होना चाहिए।

16. दोनों परिसरों में ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मचारियों के अलग उपस्थिति रजिस्टर का रखरखाव और बिल जमा करने से पहले पीआरएल अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित।

17. ठेकेदार को नीचे वर्णित मानक ब्रांड सामग्री का उपयोग करना होगा

क्र	**मद**	**स्वीकृत ब्रांड्स**
1	दूध	अमूल शक्ति
2	घी	अमूल
3	रसोई के लिए तेल (सूरजमुखी या मूंगफली)	मारुति / तिरुपति / फॉर्च्यून
4	मक्खन / पनीर / पनीर / दही / आइस क्रीम	अमूल
5	चाय पत्ती	वाघबकरी / रेड लेबल / टाटा

6	अनाज (चावल बासमती) / दालें (अपरिष्कृत)	A-ग्रेड
7	जैम / केचप	किसान / मैगी
8	चीनी सॉस	चिंग्स
9	पापड़	लिज्जत
10	ब्रेड (व्हाइट/ब्राउन और मल्टीग्रेन)	ब्रिटानिया / टीजीबी बेकरी /फ्रेश एन फ्रेश
11	मसाला	एवरेस्ट / रामदेव
12	ज्यूस	रियल / ट्रॉपिकाना
13	बिस्कुट / कुकीज़	आईटीसी / ब्रिटानिया / जयहिन्द बेकरी / नेस्ले / पार्ले
14	मीठा	बिकानेरवाला/ग्वालिया
15	कॉफी (ग्रैनुलर)	कॉफी (ग्रैनुलर) ब्रू/नेस्केफे
16	कॉर्न फ्लेक्स	केलोग्स

नोट: यदि अनुपलब्धता के कारण ब्रांड में कोई बदलाव है, तो पूर्व सूचना और स्वीकृति कैटरिंग पर्यवेक्षक के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।

18 अनुबंध के शुरू होने के बाद "दर अनुसूची" में दी गई सूची में पीआरएल द्वारा मदें जोड़े जाने पर कीमतें पीआरएल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। अनुबंध में उल्लिखित विभिन्न वस्तुओं की कीमतें कैंटीन परिसर के किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जाएंगी।

19. ठेकेदार को उनके कर्मियों और सामग्रियों के लिए परिवहन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

III. ठेकेदार साइट पर तैनात अपने कर्मचारियों के लिए निम्न हेतु जिम्मेदार होंगे:

i. भर्ती और कर्मचारियों का प्रशिक्षण

ii. **अपने कर्मचारियों को वर्दी प्रदान करने और उनका रखरखाव**

iii. कैंटीन और हाउसकीपिंग **स्टाफ की हाजिरी रजिस्टर और उपस्थिति का रिकॉर्ड**

iv. औद्योगिक श्रमिकों के लिए लागू नियमों के अनुसार सभी आकस्मिकताओं, मुआवजे आदि के लिए कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बीमा कवरेज और मुआवजे।

v. अपने कर्मचारियों की शिकायत और उनका निवारण

vi. अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान और रिकॉर्ड रखना

vii. **अपने कर्मचारियों के पीएफ/ईएसआई रिकॉर्ड बनाए रखना**

viii.संघ एवं राज्य के सभी श्रम कानूनों का अनुपालन

ix. **उनको सुरक्षा उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा और चिकित्सा देखभाल सहित श्रम कल्याण**

x. **ठेकेदार परिसर में तैनात उनके कर्मियों के नाम, पता, तस्वीर के साथ व्यक्तिगत विवरण प्रदान करेगा** औरर पीआरएल से आवश्यक बार कोडित पहचान पत्र प्राप्त करेंगे और ड्यूटी के दौरान डालेंगे।

xi. ठेकेदार कैंपस में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे और आपातकालीन और आवश्यकता में आवश्यक चिकित्सा उपस्थिति, छुट्टी और उनके कर्मचारियों के लिए अन्य सभी क्षतिपूर्ति उपायों को सुनिश्चित करेंगे।

xii. **ठेकेदार या एजेंट, प्रतिनिधि या उसके कर्मचारियों को प्रचालन या संविदा के निष्पादन के दौरान कोई दुर्घटना या अन्य कारणों से हुई चोट के कारण हुई किसी मौत, नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार पी.आर.एल. नहीं होगा।**

xiii. ठेकेदार अनुबंध के अनुसार सेवाओं पर असर डालने वाले प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पीआरएल को किसी भी और सभी दावों के लिए क्षतिपूर्ति करेगा जो कामगार मुआवजा अधिनियम, अन्य अधिनियम या कानून आदि के तहत उत्पन्न हो सकते हैं

2. ठेकेदार अनुबंध से उत्पन्न दायित्व को पूरा करने के लिए कोई उप-अनुबंध नहीं देगा।

3. अनुबंध की अवधि: पीआरएल द्वारा इसे कम या समाप्त नहीं करने और ठेकेदार द्वारा सेवा में कमी, सामग्री की खराब गुणवत्ता, अनुबंध का उल्लंघन, आवश्यकताओं में कमी या समाप्त होने तक अनुबंध प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।
अनुबंध एक ही नियम और शर्तों पर आपसी सहमति पर एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
पारस्परिक सहमति से आगे नहीं बढ़ाए जाने पर अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा।

4. **सुरक्षा जमा:** विशेष परिस्थितियों में, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, ठेकेदारों द्वारा सुरक्षा राशि जमा करने की दरें निम्नानुसार होंगी:
प्रत्येक कार्य के लिए सुरक्षा जमा राशि संविदा मूल्य की 5% होनी चाहिए। जब तक पूर्ण सुरक्षा जमा राशि की वसूली न हो जाए तब तक तक वसूली की दर बिल राशि की 5% होगी। ठेकेदार के संविदा के चालू बिल से सुरक्षा जमा राशि को वसूला जाएगा तथा सुरक्षा जमा प्राप्त करने के रूप में बैंक गारंटी, सावधि जमा जैसे किसी अन्य दस्तावेज, आदि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. **निष्पादन गारंटी (पी.जी.)** निष्पादन गारंटी प्राप्त करने की रूपरेखा निम्नानुसार होगी:-

(i) सफल बोलीदाताओं को निष्पादन गारंटी के बतौर संविदा मूल्य के 5% के बराबर अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी देनी चाहिए।

(ii) सफल ठेकेदार को स्वीकृति पत्र के जारी होने के पश्चात किंतु करार पर हस्ताक्षर करने से पहले निष्पादन गारंटी देनी होगी, जो रखरखाव की अंतिम तिथि के बाद 6 माह तक वैध होनी चाहिए। स्वीकृति पत्र भेजने के बाद 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर सामान्यतः करार पर हस्ताक्षर होंगे तथा उसी समय सीमा के दौरान निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करनी चाहिए।

(iii) निष्पादन गारंटी को संतोषजनक कार्य पूरा करने तथा रखरखाव अवधि पूरी होने के बाद वापस किया जाएगा। सुरक्षा जमा को वापस करने का तरीका भी यही होगा।

(iv) जब भी संविदाओं को रद्द किया जाएगा, सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी तथा निष्पादन गारंटी को भुना लिया जाएगा तथा शेष कार्य को पृथक रूप से करवाया जाएगा। इस सुरक्षा जमा पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलेगा।

6. **भुगतान की शर्तें:** सफलता पूर्वक एवं संतोषजनक सेवा देने पर बिल की दो प्रतियां प्राप्त होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा।

ठेकेदार के दैनिक निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु योग्य प्रणाली विकसित की जाएगी और ठेकेदार को इस प्रणाली का अनुपालन करना होगा। संविदा की अवधि के दौरान दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी।

पी.आर.एल. के द्वारा किसी प्रकार के भुगतान या जमा, जो पी.आर.एल. के पास है, पी.आर.एल. एवं ठेकेदार के बीच विवाद होने या पी.आर.एल. की ओर से मासिक भुगतान में हुई देरी या अन्य मामले में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

ठेकेदार को किए गए कामकाज के विस्तृत ब्यौरे के साथ ठेकेदार के प्रतिनिधि एवं पी.आर.एल. के नामित अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणित कार्य डायरी रखनी होगी। मासिक बिल के साथ इस डायरी के सार को भी संलग्न करना होगा।

7. दंड: यदि दिया गया कार्य पूरी तरह और संतोषजनक रूप से नहीं किया जाता है तो न्यूनतम 10, 000/- रुपये बिल से घटाया जाएगा। इस राशि के संबंध में पीआरएल का निर्णय ठेकेदार को अंतिम और बाध्यकारी होगा। इसके अतिरिक्त, ऐसी राशि पर 20% को मुआवजे के रूप में काटा जाएगा। यदि खाद्य सामग्री/मदें अनुमोदित गुणवत्ता/ब्रांड के अनुसार नहीं हैं तो प्रत्येक शिकायत पर दंड राशि, पिछले दंड से दोगुनी हो जाएगी। यदि कार्य आदेश में उल्लिखित कर्मचारियों की संख्या उसके अनुसार नहीं हो, तो प्रति दिन आधार पर अकुशल श्रम के लिए दैनिक मजदूरी की दर पर दंड लगाया जाएगा।

2. **मुआवजा:** ठेकेदार द्वारा सेवा प्रदान करने में अचानक विफल होने, लापरवाही, विस्थापन या रोक की स्थिति में, शेष कार्य के निष्पादन करने के हक पर प्रतिकूल

प्रभाव डाले बिना ठेकेदार की लागत एवं खर्चे से पी.आर.एल. विभागीय रूप से या किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा कार्य को पूरा करेगा। ऐसे मामले में, ठेकेदार पी.आर.एल. या अन्य एजेन्सी द्वारा किए कार्य पर आई अतिरिक्त लागत को पी.आर.एल. को भुगतान करेगा। अन्य किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निदेशक, पी.आर.एल. इस करार की ओर से या कानून के अधीन, इस निविदा के 5. डी में अन्य नियमों और शर्तों के तहत उल्लिखित निष्पादन गारंटी जब्त के अनुसार ठेकेदार को दो महीने की लिखित सूचना देकर करार को रद्द कर सकता है तथा ऐसे मामले में ठेकेदार पी.आर.एल. के विरुद्ध हानि या क्षति का दावा नहीं कर सकेगा।

8. **क्षतिपूर्ति:** विभिन्न श्रम कानून आदि जैसे समय-समय पर लागू विभिन्न अधिनियमों और कानून के अनुसार तैनाती की अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को दिए गए सभी आर्थिक या अन्य लाभों के लिए ठेकेदार पीआरएल को क्षतिपूर्ति करेगा।

क्षतिपूर्ति बांड: ठेकेदार कार्मिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, अनुबंध श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, ईपीएफ अधिनियम, ईएसआई अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम और अनुबंध की निरंतरता के दौरान श्रम या औद्योगिक श्रमिकों के लिए प्रासंगिक कोई अन्य अधिनियम जैसे किसी भी कार्यवाही, दावों या सभी मौजूदा कानूनों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी कार्य, दावों या कार्यवाही के लिए 200/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर पीआरएल को क्षतिपूर्ति देगा।

9. **बहिष्कृत/ब्लैकलिस्ट**: ठेकेदार को किसी भी मौजूदा/पिछले ग्राहकों विशेषतः किसी भी सरकारी विभाग/संगठन द्वारा पिछले 5 वर्षों में उनके द्वारा प्रदान किए गए खानपान या आतिथ्य सेवाओं से संबंधित किसी भी कारण के लिए दोषपूर्ण/सेवा में कमी के लिए 'ब्लैकलिस्ट' नहीं होना चाहिए। ठेकेदार को तकनीकी बोली के साथ इस विषय पर एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

10.**ईएमडी छूट प्रमाणपत्र:** यदि, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) या सूक्ष्म, लघु उद्यम (एमएसई) आदि के साथ पंजीकृत होने के कारण ठेकेदार ईएमडी और निविदा शुल्क के भुगतान से छूट का दावा कर रहा है, तो उन्हें तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा।

11.ठेकेदार द्वारा **न्यूनतम मजदूरी** और अन्य श्रम संबंधित संवैधानिक प्रेषण और ठेकेदार द्वारा भुगतान और संबंधित राज्य के नियमों के अनुसार सभी नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन किया जाएगा। ठेकेदार की ओर से किसी प्रकार की चूक के लिए पीआरएल किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

12. **मध्यस्थता:** अनुबंध की व्याख्या और आवेदन से संबंधित किसी भी विवाद या अंतर की परिस्थिति में, इस तरह के विवाद या अंतर संबंधित पार्टियों के कार्यालयों के आपसी परामर्श से सौहार्दपूर्वक सुलझाए जाएंगे।

यदि ऐसा कोई समाधान संभव नहीं है, तो भारतीय माध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 या उसके किसी भी संशोधन के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार वैज्ञानिक सचिव, पीआरएल द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को अनसुलझे विवाद या अंतर भिजवाए जाएंगे।

मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। **मध्यस्थता** के लिए खर्च का भुगतान मध्यस्थ द्वारा निर्धारितानुसार किया जाएगा। मध्यस्थता अहमदाबाद में होगी।

13.**अप्रत्याशित घटना:** दोनों पार्टियों में से कोई भी संविदा के निष्पादन में किसी प्रकार की देरी या असफलता के तहत भुगतान के लिए संस्थापित नहीं होगी या नुकसान का दावा उस सीमा तक नहीं करेगी, जहां तक यह नुकसान दैवी प्रकोप या सार्वजनिक दुश्मन, सरकारी प्राधिकारी के द्वारा शोषण या ज़ब्ती, कार्रवाई या युद्ध, विद्रोह या विध्वंस या आगजनी, बाढ़, विस्फोट, दंगा या कानूनी/गैरकानूनी हड़ताल/तालाबंदी, प्राकृतिक आपदाएं आदि परिणाम से निष्पादन के विफल होने से हुआ हो।

14.संविदा के दौरान किसी भी स्तर पर ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने न्यायालय में नैतिक चरित्रहीनता का मामला चलने पर पी.आर.एल. को विशेष रूप से यह विशिष्ट हक होगा कि वह ठेकेदार को बिना कोई नोटिस दिए संविदा को रद्द कर दे तथा ऐसे मामले में ठेकेदार पी.आर.एल. से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

15. **न्यायाधिकार:** किसी अन्य न्यायालय या न्यायालयों में संबंधित मामले के संदर्भ में विषय वस्तु के प्रश्न के निर्णय के न्यायाधिकार के होते हुए भी यदि वह विषय वस्तु याचना स्वरूप हो, इससे उत्पन्न कोई या सभी कार्रवाई तथा कार्यवाही या करार से संबंधित न्यायालय सक्षम सिविल न्यायाधिकार अहमदाबाद के ही अधीन होगा जहां पी.आर.एल. की ओर से इस करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा सभी अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करते हुए एवं ऐसी कार्यवाही (हियों) तथा/या कार्यवाही पर विचार करने के लिए अहमदाबाद स्थित न्यायालय को ही न्यायाधिकार होगा।

16.**संविदा निरस्त हो जाएगी यदि:**

a. संविदा की अवधि के समाप्ति पर यदि आगे विस्तार न किया जाए।

b. संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय ठेकेदार द्वारा दी गई सेवा संतोषजनक न होने पर या करार की किसी शर्त को न मानने पर ठेकेदार को एक महीने की लिखित अग्रिम सूचना देकर।

c. यदि ठेकेदार सेवा समाप्त करना चाहता है, तो वह पी.आर.एल. को कारण बताते हुए दो महीने की लिखित सूचना देगा। यदि सूचना छः महीने के भीतर दी गई हो तो पी.आर.एल. द्वारा ईएमडी/एसडी/पीबीजी को जब्त कर लिया जाएगा।

17. संविदा की शर्तों की व्याख्या के विवाद के मामले में, निदेशक, पी.आर.एल. का निर्णय अंतिम होगा एवं ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

18. निदेशक, पी.आर.एल. के पास निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक स्वीकृत करने या कोई एक या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का हक सुरक्षित है।

IV. **<u>बोलीदाताओं को आमंत्रण:</u>**

1. पीआरएल अहमदाबाद के नवरंगपुरा और थलतेज परिसर में कैंटीन, अतिथि गृह और छात्रावास चलाने और रखरखाव के लिए वार्षिक दर अनुबंध हेतु ठेकेदार के रूप में योग्यता के लिए बोलियां आमंत्रित की जाती हैं

2. निविदा दस्तावेज: उपरोक्त सेवाएं प्रदान करने वाले अनुभवी ठेकेदार निविदा दस्तावेजों के लिए **प्रशासन अधिकारी, पीआरएल, अहमदाबाद** से 1000 रु. निविदा शुल्क प्रेषण का लिखित रूप ले कर (या तकनीकी बोली प्रस्तुत करने के समय भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद को देय बैंकर्स चैक या डीडी संलग्न करें)। निविदा दस्तावेज हमारी वेबसाइट www.prl.res.in -> पीआरएल के साथ व्यापार -> निविदाएं से मुफ्त में भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

3. दस्तावेज का पूरा सेट दो अलग मुहरबंद कवर में संलग्न हो -एक भाग-क (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) और दूसरा भाग-ख (मूल्य बोली) और इन दोनों बोलियों को कपड़े के एक तीसरे लिफाफे में रख कर उस पर "पीआरएल अहमदाबाद के नवरंगपुरा और थलतेज परिसर में कैंटीन, अतिथि गृह और छात्रावास चलाने और रखरखाव के लिए वार्षिक दर अनुबंध" आवेदन उत्कीर्ण होना चाहिए तथा रजिस्टर्ड डाक/कूरियर/हैंड डिलीवरी से **प्रशासन अधिकारी, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, नवरंगपुरा, अहमदाबाद -380 009 के पते पर** 18.06.2018 **को** 1200 **बजे** तक भेजें।

4. विलंबित बोलियां खोली नहीं जाएंगी और रद्द कर दी जाएगी।

5. <u>**बयाना राशि जमा:** 1, 75,000/- रु की ईएमडी को डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के रूप में, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के नाम पर बनवाकर भाग-क अर्थात् तकनीकी बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।</u>

6. बिना ईएमडी वाली तकनीकी बोली (भाग-क) को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।

7. <u>**निविदा खोलना: तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग-क): 09.07.2018 को पीआरएल, अहमदाबाद में 1600 बजे**</u>

8. पीआरएल द्वारा निविदा दस्तावेज के भाग-क (तकनीकी बोली) की जांच के बाद उपयुक्त पाए जाने वाले बोलीदाताओं को भाग-ख (मूल्य बोली) खोलने के लिए तिथि, समय और स्थान के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा।

9. बोलीदाता को निविदा को खोलने के पश्चात प्रस्ताव की न्यूनतम अवधि **120 दिन** तक मान्य रखनी होगी, इस अवधि के दौरान बोलीदार अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले सकता, इस अवधि को जरूरी होने पर समय-समय पर आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।

10. प्रत्येक श्रेणी की सूचना के लिए, फोटोग्राफ के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्नक के रूप में लगाएं।

11. जहां लागू हो वहां हस्ताक्षर कर्ता के नाम की पावर ऑफ अटार्नी की स्व साक्षांकित प्रति लगाएं।

12. दस्तावेज के सभी पन्नों पर मोहर लगी हो तथा बोलीदाता के आद्याक्षर हों। इस दस्तावेज में से कोई पन्ना हटाया/परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा पूरे सेट को समग्र प्रस्तुत करना होगा।

13. सभी प्रकार के संशोधन तथा लिखे पर बोलीदाता के आद्याक्षर होंगे तथा एक सी स्याही से भरे जाने चाहिए।

14. यदि किसी भी वस्तु (ओं) के लिए आंकड़े (ओं), शब्द में कोई दर उद्धृत नहीं की गई है, तो यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने इस / इन वस्तुओं की लागत शामिल की है और इस तरह के आइटम (ओं) के लिए दर शून्य माना जाएगा और कार्य तदनुसार निष्पादित करनी होगी।

15 प्रोफार्मा में दी गई जानकारी को **गोपनीय** रखा जाएगा।

16. सभी प्रकार की प्रविष्टियां टंकित या स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए।

17. यदि उपलब्ध जगह कम पड़े तो ठेकेदार पृथक पन्ने जोड़ सकता है। किंतु मूल फार्मेट का सख्ती से अनुपालन किया जाए और सभी संलग्न किए गए पन्ने ए-4 साइज के हों (210मिमीX297मिमी)। किसी अन्य आकार के संलग्नक की अनुमति नहीं है।

18. कार्यों के विवरण में वर्णित कार्य संदर्भ के लिए है और यह बदल सकता है और इसे बोलीदाता को कार्य करने में सहायता करने के लिए प्रारंभिक जानकारी और मार्गदर्शन के रूप में माना जाएगा।

Signature
Seal

19. आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा दिए गए विवरण का मूल्यांकन पीआरएल द्वारा किया जाएगा। पीआरएल बोलीदाताओं की सूची को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बोलीदाताओं को सूचीबद्ध करने के लिए पीआरएल का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

20. बोलीदाताओं के चयन में पीआरएल का निर्णय, कार्यों का चरण अंतिम और बाध्यकारी होगा। बोलीदाता का चयन पूरी तरह से पीआरएल की अनुबंध प्रबंधन प्रणाली के नियमों और शर्तों और सेवाओं के आउटसोर्सिंग पर समय-समय पर जारी किए गए भारत सरकार के आदेशों के आधार पर किया जाता है। बोलीदाताओं की प्रतिष्ठा, इसी प्रकार के कार्य के लिए अनुभव वित्तीय स्थिति, सांविधिक अनुपालनता, समय सारिणी के अनुसार अच्छी दरों पर गुणवत्ता के काम इत्यादि जैसे तकनीकी प्रतिस्पर्धी पर जोर दिया जाएगा।

21. ठेकेदार के द्वारा लगाए गए व्यक्ति:

a) 18 वर्ष से अधिक आयु वाले होंगे।

b) शिष्ट, प्रशिक्षित और न्यूनतम शिक्षित होंगे।

c) स्वच्छ, साफ, मेडिकली फिट तथा अच्छे वर्दी में

d) उचित रूप से आवश्यक सुरक्षा के लिए सभी एहतियाती उपायों बरतें।

e) सभी जोखिम भरे कार्य पर्यवेक्षक की देखरेख में करें। यानि, ऐसे कार्य एक व्यक्ति द्वारा एवं अकेले में न किये जाएं।

22. सफल बोलीदार को प्रयोगशाला के साथ एक करार करना होगा। सफल बोली में दर्शाई गई दरें एवं बोली की शर्तें, विवरण, तथा सफल बोलीदार का प्रस्ताव पत्र एवं बोलीदार का स्वीकृति पत्र हस्ताक्षरित करार के अंग होंगे। बोलीदार को करार के लिए निर्धारित कीमत का स्टैंप पेपर लाना होगा।

E. सूचना प्रदान करने के लिए बोलीदाताओं को अनुदेश

1. बोलीदारों से निवेदन है कि वे निर्धारित प्रोफार्मा में उनके संस्थान, तकनीकी अनुभव, क्षमता तथा सक्षमता एवं वित्तीय परिस्थिति के बारे में उपयुक्त साक्ष्य के साथ ब्यौरा प्रस्तुत करें। प्रोफार्मा में गलत या अधूरी सूचना देने के कारण बोलीदार को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
2. आवेदक के पास कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में तकनीकी तथा प्रशासनिक कर्मचारी होने चाहिए। आवेदक को संस्थागत चार्ट व पी.आर.एल. में कार्य करने के लिए लगाए जाने वाले कर्मचारियों का सी.वी. प्रस्तुत करना होगा जो संस्था में मुख्य पद पर कार्यरत होंगे।
3. विभागीय कैंटीन गतिविधि सहायता के व्ययसाय में प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ संबंध।

Signature
Seal

F. **पूर्व-अर्हता के लिए योग्यता मापदंड:**

पूर्व अर्हता चरण निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखा जाना चाहिए:

- ठेकेदार के पास कम से कम **3 वर्ष** का अनुभव होना चाहिए। (कार्य आदेश संलग्न करें)
- बैंक द्वारा जारी न्यूनतम 40.00 लाख का नवीनतम शोधन क्षमता प्रमाण पत्र।
- ठेकेदार को कैटरिंग सेवा ठेकेदार के रूप में तीसरे पक्ष एजेंसी (आईएसओ प्रमाणन) द्वारा वैध प्रमाणीकरण होना चाहिए। (प्रमाणन की प्रति संलग्न करें)
- ठेकेदार को इसी प्रकार का एक कार्य जो हमारी लागत का 80 % हो या 60 % लागत के 2 कार्य या 40 % लागत के 3 कार्य पिछले तीन सालों के दौरान किए होने चाहिए।
- ठेकेदार का दो साल के दौरान **कम से कम 40 लाख रुपए (लगभग)** का कारोबार होना चाहिए। (लाभ-हानि खाते के साथ बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- अनुमान और मार्गदर्शन उद्देश्य के लिए संलग्न मूल्य बोली प्रारूप के अनुसार मात्रा की अनुसूची का सख्ती से पालन करेगा।

• दर अनुबंध: अनुसूची के अनुसार।

• ठेकेदार को कैंटिन और गेस्ट हाउस में अलग-अलग कैटरिंग सेवाओं के लिए पीआरएल सॉफ्टवेयर और लेखांकन/बिलिंग की प्रणाली को संचालित करना है।

• ठेकेदार स्टॉक रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर मासिक आधार पर बिल और आवश्यक वाउचर जमा करेगा, जिसे निपटान से पहले केटरिंग पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

G. **घोषणा:**

1. मैं/हम पी.आर.एल. में बोलीदार चयन के निर्णय से सहमत हूं/हैं, कार्य अवस्था का निर्णय अंतिम है एवं मुझ पर/हम पर बाध्यकारी है।
2. यदि मेरे/हमारे कार्य की पूछताछ की जाती है, उससे संबंधित क्षेत्रों एवं सभी परियोजनाओं तथा कार्य के बारे में अन्य पूछताछ की जाती है जिसका जिक्र बोली में किया गया है तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं है।
3. मैं/हम यह उत्तदायित्व लेते हैं कि फर्म के संघटन में किसी प्रकार का फेरबदल होने पर सूचित करूंगा/करेंगे। ऐसे परिवर्तन के उपलक्ष्य में संविदा को चालू रखना पूर्ण रूप से पी.आर.एल. की समझबूझ पर होगा।
4. उपरोक्त दी गई सभी जानकारी व डेटा मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य व सही हैं।

कंपनी की मोहर के साथ बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

भाग **I -** ठेकेदार / कंपनी के बारे में बुनियादी जानकारी**:**

क) संस्था का नाम:

ख) संस्था का पता:

फोन नं. :

फैक्स नं. :

ई-मेल :

यूआरएल वेबसाइट:

ग) 1.पंजीकरण सं. व सीएलए की तिथि:

2.जीएसटी पंजीकरण संख्या

3.पीएफ पंजीकरण संख्या

4. इएसआई पंजीकरण संख्या

5.[उपरोक्त सभी के लिए स्व साक्ष्यांकित प्रतिलिपियां संलग्न करें]

घ) पूर्व अनुभव: (संलग्नक लगाएं)

ङ) अबसे ब्यौरा प्रस्तुत करने वाले प्रभारी व्यक्ति का नाम:

च) साझेदारों/निदेशकों के नाम, मूलभूत योग्यता व आयु को सम्मिलित करते हुए संस्था का प्रकार: (पूर्ण स्वामित्व, साझेदारी, प्राइवेट लिमिटेड, सहकारी संस्था आदि)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ii) क्या उपरोक्त में से किसी के संबंधी पी.आर.एल. में कार्यरत हैं? यदि हां, तो नाम व उनके संबंध का उल्लेख करें।

छ) 1) संगठन के लिए आयकर क्लियरेंस प्रमाणपत्र:

2) जीएसटी क्लियरेंस प्रमाणपत्र:

ज)कंपनी के वित्तीय संसाधन:

(रुपये लाखों में)

झ) क्या विगत में पी.आर.एल. (आईआरओ) को ऐसी सेवाएं प्रदान की गई थी, यदि हां तो कब और कितने सालों तक ?

ञ) आप के पास उपलब्ध मशीनरियों (स्वयं) एवं कार्य हेतु लाने के लिए प्रस्तावित की सूची (स्वयं एवं किराए पर का पृथक से जिक्र करें)

भाग II - परियोजना सूचना:

(प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग अनुलग्नक संलग्न करें)

निम्नांकित निर्धारित प्रोफार्मा में गत सात वर्ष के दौरान अच्छी गुणवत्ता एवं कारीगरी के साथ किए गए 10.00 लाख व अधिक की कीमत (वार्षिक) के महत्वपूर्ण संस्थागत/परिसर कार्यों की संविदा सूची :

परियोजना: 1 (एक)

1) नाम व कार्य का वर्ष_:

आपके प्रभारी अधिकारी
के नाम सहित:

2) ग्राहक का नाम :

3) यदि हो तो परामर्श दाता का नाम :

4) कार्य की कीमत व समयावधि :

5) कार्य का स्थान :

6) कार्य का प्रकार (हाउसिंग/ :
संस्था आदि) दो पक्तियों में ब्यौरा

7) कार्य स्थल का क्षेत्र (यदि हो)

परियोजना: **2** (दो)

1) नाम व कार्य का वर्ष :
आपके प्रभारी अधिकारी
के नाम सहित:

2) ग्राहक का नाम :

3) यदि हो तो सलाहकार का नाम :

4) कार्य की कीमत व समयावधि :

5) कार्य का स्थान :

6) कार्य का प्रकार (हाउसिंग / :
संस्था आदि) दो पक्तियों में ब्यौरा

7) कार्य स्थल का क्षेत्र (यदि हो)

परियोजना: **3** (तीन)

1) नाम व कार्य का वर्ष :
आपके प्रभारी अधिकारी
के नाम सहित :

2) ग्राहक का नाम :

3) यदि हो तो परामर्श दाता का नाम :

4) कार्य की कीमत व समयावधि :

5) कार्य का स्थान :

6) कार्य का प्रकार (हाउसिंग / :
संस्था आदि) दो पक्तियों में ब्यौरा

7) कार्य स्थल का क्षेत्र (यदि हो)

मुख्य सलाहकार/ग्राहक फर्म से उत्तम कारीगरी, अनावश्यक अतिरिक्त दावे की प्रवृत्ति तथा ठेकेदार के सामान्य व्यवहार, सलाहकार/ग्राहक के अधीन किए गए कार्य

सेवा यूनिट की आवश्यकता			
क्रमांक	जनबल और संख्या का विवरण	दिन	सं. में सेवा यूनिट (प्रति वर्ष)
1	प्रबंधक सेवा - 1 सं.	365	365
2	पर्यवेक्षक सेवा - 3 सं.	365	1095
3	यूटिलिटि स्टाफ - 3 सं.	365	1095
4	यूटिलिटि स्टाफ - 1 सं.	313	313

के विस्तृत ब्यौरों के संदर्भ पत्र (यदि हों)

नोट: 1. चार यूटिलिटि स्टाफ (नवरंगपुरा गेस्ट हाउस में 3 और मुख्य परिसर में 8 वीं मंजिल कैंटीन में 1)

2. आवश्यकता के अनुसार सेवा यूनिटों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है। केवल वास्तविक पर भुगतान।

3. एक सेवा यूनिटों का मतलब है कि आधे घंटे के लंच ब्रेक को छोड़कर प्रति दिन 8 घंटे के लिए ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा।

जन बल की आवश्यकता के आकलन के लिए प्रत्येक परिसर और भवन का मापन: (लगभग)

- पीआरएल कॉलोनी, नवरंगपुरा परिसर में कैंटीन - 200Sq. meter;
- थलटेज कैंपस में कैंटीन - 415Sq. meter

केवल खानपान और क्षेत्र के रखरखाव के काम की मात्रा के विश्लेषण के लिए मापन दिया गया।

जांच सूची	
कृपया जांच करें कि क्या बोली के लिए संबंधित कवरों में निम्न सामग्री को संलग्न किया है :	
1. मूल्य बोली खोलने की तारीख से 120 दिनों तक बोली की वैधता।	हां/नहीं
2. कैंटीन और हाउस कीपिंग सेवाओं या सहायता प्रदान करने में कम से कम तीन वर्षों के अनुभव के प्रमाण	हां/नहीं
3.शोधन क्षमता प्रमाणपत्र	
4. कम से कम 40.00 लाख रुपये का टर्नओवर का साक्ष्य	
5. अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित तीसरी पार्टी रेटिंग एजेन्सी के द्वारा कोई प्रत्यायन/श्रेणीनिर्धारण	
6. मूलभूत सूचना (विक्रेता), संगठन संरचना, कर्मचारियों की सूची इत्यादि	हां/नहीं
7. क्या ईएमडी /निविदा शुल्क/ छूट प्रमाणपत्र संलग्न है	हां/नहीं
8. क्या पंजीकरण प्रमाण पत्र, श्रम लाइसेंस, जीएसटी पंजीकरण और रिटर्न, कार्य अनुभव आदि जैसे सभी अनिवार्य दस्तावेजों को संलग्न किया गया है।	हां/नहीं
9. पीएफ, ईपीएफ, ईएसआई इत्यादि जैसे वैधानिक प्रेषण पर संघ और राज्य के विभिन्न श्रम कानूनों के तहत लागू कर्मचारियों की चिकित्सा उपस्थिति संबंधी संलग्नक	हां/नहीं

भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला

(भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग की यूनिट)

नवरंगपुरा, अहमदाबाद– 380 009

भाग-ख

मूल्य बोली

कार्य का नाम: एन आई टी संख्या: PRL/ADM-GN/Catering/2018-2019/03 दिनांक 15.05.2018 पीआरएल अहमदाबाद के नवरंगपुरा और थलतेज परिसर में कैंटीन**,** अतिथि गृह और छात्रावास चलाने और रखरखाव के लिए वार्षिक दर अनुबंध

एन आई टी संख्या: PRL/ADM-GN/Catering/2018-2019/03 **दिनांक** 15.05.2018

मैसर्स ____

को जारी किया गया ____

पीआरएल रसीद सं.: ____________________ दिनांक ________________ रु ____________

जारीकर्ता :

ध्यान दें: ठेकेदार के हस्ताक्षर सहित मूल्य बोली के सभी पृष्ठों पर मुहर लगाना अनिवार्य है।

कार्य का नाम: एन आई टी संख्या: PRL/ADM-GN/Catering/2018-2019/03 दिनांक 15.05.2018 पीआरएल अहमदाबाद के नवरंगपुरा और थलतेज परिसर में कैंटीन**,** अतिथि गृह और छात्रावास चलाने और रखरखाव के लिए वार्षिक दर अनुबंध

Signature

Seal

A अनुसूची का सार

क्रमांक	**विवरण**	**राशि** **रुपये में**
1.	भाग क - कैंटीन मेनू	
2.	भाग ख - जनबल (सेवा यूनिट प्रभार)	
3.	भाग- ग - सामग्री की आपूर्ति	
	कुल लागत	
	राउंड ऑफ रुपये में	

नोट: जीएसटी अतिरिक्त।

कंपनी सील के साथ बोलीदाता का हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

(B) मात्रा की अनुसूची

भाग - I कैंटीन मेनू सामग्री						
मद सं.	**मात्रा**	**यूनिट**	मद का विवरण	**दर**	**यूनिट**	राशि रु. में
1(a)	31000.00	**सं.**	चाय (120 मिलीलीटर)		प्रति	
b	2500.00	**सं.**	कॉफी (120 मिलीलीटर)		प्रति	
c	400.00		ग्रीन टी/लेमन टी/ ब्लैक टी (120 मिलीलीटर)		प्रति	
2			**नाश्ता / शाम का स्नैक्स**			
a	800.00	**सं.**	दूध 200 मिलीलीटर (अमूल शक्ति)		प्रति	
b	24000.00	**सं**	उपमा + चटनी / इडली (3 पीस 150 ग्राम। +		प्रति	

		.	संभार, चटनी) / उत्तपम 6 "(2 पीस + संभार, चटनी) / डोसा 8" (2 पीस) + संभार, चटनी / मसाला डोसा 8 "(2 पीस) + संभार, चटनी / पुरी साक (4 पुरी + 150 ग्राम सबजी) / समोसा 2 सं. / कचोरी 2 सं. / दालवाड़ा 5 सं. (100 ग्राम) / मेथी गोटा 5 सं. (100 ग्राम) / मिक्स भजिया 5 नंबर (100 ग्राम) / वेज सैंडविच 2 सं. / चना मसाला (100 ग्राम) / सेवरोल (3 पीस) / (5 पीस) खमन / ढोकला / नाश्ता (4 पीस) सैंडविच ढोकला / भरवां पराठा / पाव (2 पीस) भाजी / कटलेट (3 पीस) / असोर्टेड टिक्की (3 पीस) / नूडल्स (100 ग्राम) / पास्ता (100 ग्राम) / मोमोस (5 पीस) / काठी रोल (3 पीस) / चिला (2 पीस) / फारसी पुरी (2 पीस) / मेंदूवाडा (3 पीस) / भेल (150 ग्राम) / दही भल्ला (3 पीसी) / छोले भटूरे / वडा पाव / दबेली (2 पीसी) / पापड़ी चाट / आलू बोंदे / साबुदाना वडा (5 पीस) / शहद के साथ पैनकेक (2 पीस)			
(c)	4000.00		मक्खन टोस्ट (2 स्लाइस (व्हीट ब्रेड / मल्टीग्रेन / सफेद ब्रेड) + मक्खन 10 ग्राम पैक + 20 ग्राम जाम)		प्रति	
d	500.00		दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स (50 ग्राम + 150 मिलीलीटर)		प्रति	
e	400.00		ब्रेड स्लाइस (2 स्लाइस)		प्रति	
f	1500.00		आमलेट (सिंगल)		प्रति	
g	4000.00		आमलेट (डबल)		प्रति	
h	2000.00		नींबू जूस / लस्सी / मक्खन / आम पन्ना / तरबूज जूस		प्रति	
i	400.00		दही (80 ग्राम)		प्रति	
j	400.00		सूखी सब्जी / वेज करी (110 ग्राम)		प्रति	
k	400.00		चपाती / पुरी (5 नं. 100 ग्राम) / चावल (100 ग्राम)		प्रति	

l	200.00		दाल / संभर 1 कटोरी		प्रति	
m	50.00		चूरमा लड्डू		KG	
n	800.00	प्लेट	मैगी (1 प्लेट)		प्रति	
o	400.00		उबला अंडा (1 सं)		प्रति	
p	600.00		अंडा करी (2 अंडे)		प्रति	
q	500.00		चिकन करी (100 ग्राम) 80 ग्राम-चिकन + 20 ग्राम-ग्रेवी)		प्रति	
r	200.00		मटन करी (100 ग्राम) (80 ग्राम- मटन + 20 ग्राम- ग्रेवी)		प्रति	
s	500.00		मछली करी (100 ग्राम) (80 ग्राम -रोहु / कटला मछली + 20 ग्राम-ग्रेवी)		प्रति	
t	1000.00		स्वीट (गुलाब जामुन (2 पीस), रसगुल्ला (2 पीस), खीर, सेवियां, शाही टुकड़ा, शीरा, आम रस, बेसन लाडू / जलेबी (2 पीस), फल कस्टर्ड, काला जामुन (2 पीस), आइस क्रीम 90 मिलीलीटर)		प्रति	
3	21000.00		**स्टाफ लंच**		प्रति	
			चावल/खिचड़ी/पुलाव: 150 ग्राम रोटी / पुरी 5 नंबर (100 ग्राम) दाल / कडी / संभार: 1 कोटेरी (100 ग्राम) सूखी सब्जी: 110 ग्राम (मौसमी सब्जी) और पनीर (एक महीने में तीन बार) कठोल / सब्जी करी: 110 ग्राम दही: 80 ग्राम किसी भी प्रकार का सलाद और प्याज + नींबू अचार और पापड़- 1 पीस चटनी (मिंट / कोरिंडर / कच्चा आम) 10 ग्राम मौसमी फल (केला / सेब / नाशपाती) -1 पीस मुखवास			
4			छुट्टियों में छात्र का लंच और डिनर		प्रति	

Signature
Seal

	18000.00		चावल / खिचड़ी / पुलाओ: 150 ग्राम रोटी / पुरी 5 नंबर (100 ग्राम) दाल / कडी / संभार: 1 कोटेरी (100 ग्राम) सूखी सब्जी: 110 ग्राम (मौसमी- सब्जी) + पनीर (एक सप्ताह में तीन बार) कठोल / सब्जी करी: 110 ग्राम दही: 80 ग्राम किसी भी प्रकार का सलाद और प्याज + नींबू अचार और पापड़ - 1 पीस मुखवास			
5			विशेष अवसर पर भोजन			
a	200.00		सेमी-स्पेशल लंच (अनलिमिटेड)		प्रति	
			सूप या जूस (150 मिलीलीटर) 2 सब्जियां (पनीर डिश + हरी सब्जी) चावल / पुलाव दाल / कडी / संभार रोटी / पुरी / पराठा अचार + पापड़ / ग्रीन सलाद दही / रायता डीज़र्ट/मिठाई (पसंद के अनुसार, ग्वालिया / बीकानेरवाला) 2 पानी की बोतलें (200 मिलीलीटर)			
6	1000.00		असोर्टेड कुकीज़ और 2 पानी बोतलों के साथ चाय / कॉफी (प्रत्येक 200 मिलीलीटर)		प्रति	
7	800.00		नाश्ते / स्नैक्स और 2 पानी की बोतलों के साथ चाय कॉफी (प्रत्येक 200 मिलीलीटर)		प्रति	
8	600.00		नाश्ते / स्नैक्स के साथ चाय कॉफी + मीठा और 2 पानी की बोतलें (प्रत्येक 200 मिलीलीटर)		प्रति	
9	1100.00		**जलपान**		प्रति	
			स्वीट (2 पीस, ग्वालिया / बीकानेरवाला) / पेस्ट्री (1 पीस टीजीबी / फ्रेश एन फ्रेश) / डंकिन डोनट -1 पीस			
			2 कटलेट / समोसा / मैक डोनाल्ड या डंकिन डोनट्स बर्गर / मैक पफ / कचौरी / मैक डोनाल्ड या डंकिन डोनट्स रैप			

Signature
Seal

			केला वेफर्स / आलू वेफर्स (20 ग्राम)			
			असोर्टेड ड्राई फ्रूट (30 ग्राम)			
			चाय / कॉफी (सर्विस चाय / रेडीमेड चाय और कॉफी)			

ध्यान दें :

1. केटरिंग मेनू आइटम दर (क्रम संख्या 1 से 9) कैंटीन परिसर आदि के खाना पकाने और हाउसकीपिंग की सेवाओं के लिए नीचे सूचीबद्ध अनुसार कार्मिक के लिए श्रम शुल्क शामिल हैं।

I. थल्तेज कैंटीन

1. हेड कुक -1 सं.
2. सहायक कुक -3 सं.
3. रसोई सहायक -3 सं. कुल 15
4. स्टीवर्ड - 5 सं.
5. यूटिलिटी स्टाफ -3 सं.

II . पीआरएल कॉलोनी, नवरांगपुरा में छात्रावास/गेस्ट हाउस

1. हेड कुक -1 सं.
2. सहायक कुक -1 सं.
3. रसोई सहायक -1 सं. कुल 06
4. स्टीवर्ड -2 सं.
5. यूटिलिटी स्टाफ -1 सं.

2. ऊपर वर्णित साइटों पर तैनात किए जाने वाले कार्मिक की संख्या आइडियल हैं।

3. "रिलीवर ड्यूटी" पर नियुक्त किया गया कार्मिकों को शिफ्ट-वार ड्यूटी

Signature
Seal

4. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त सेवाओं के लिए साइट पर तैनात सेवा कर्मियों को समय-समय पर जारी किए गए भारत सरकार के आदेशानुसार न्यूनतम मजदूरी और अन्य वैधानिक भुगतान / लाभ के अनुसार भुगतान किया जाता है। 2. **वास्तविक के आधार पर भुगतान।**	
कुल	
कुल- भाग क - कैंटीन मेनू आइटम	
भाग ख - जनबल (सेवा यूनिट प्रभार प्रति वर्ष)	

क्रम	**मात्रा**	**प्रति**	मद का विवरण	**दर**	राशि रु. में
10	365	सं.	प्रबंधक सेवा - कैंटीन और कैंटीन बिल्डिंग की हाउसकीपिंग की सभी दिन-प्रतिदिन का रखरखाव करने के लिए 1 सं. प्रबंधक प्रदान करना। प्रबंधक को कैंटीन को संभालने का अनुभव होना चाहिए।		
01.	1095	सं.	पर्यवेक्षक सेवा – 3सं. पर्यवेक्षक प्रदान करना। (2 नं. कैन्टीन, पार्टियों और थलतेज कैंटीन भवन की हाउसकीपिंग के लिए और 1 नं. पीआरएल अतिथि गृह, नवरंगपुरा में अतिथि गृह के सभी गतिविधियों की देखभाल करने के लिए।		
02.	1095	सं.	श्रम सेवा – अतिथि गृह, पार्टियों और जीएच नवरंगपुरा कैंटीन और अतिथि गृह हाउसकीपिंग की गतिविधियों की देखभाल करने के लिए 3 सं. डेली वेज कर्मचारियों को प्रदान करना		
03.	313	सं.	श्रम सेवा - पीआरएल मुख्य परिसर, नवरंगपुरा में 8 वीं मंजिल कैंटीन से संबंधित सभी सेवाओं की देखभाल के लिए 1 सं. डेली वेज कर्मचारी प्रदान करना		
कुल					
कुल - (ख) जनशक्ति जनबल (सेवा यूनिट प्रभार)					

1. एक सेवा यूनिट का अर्थ है ठेकेदार द्वारा लगाए गए उपरोक्तानुसार एक सेवा कार्मिक/यूनिट द्वारा आधे घंटे के दोपहर के भोजन के ब्रेक को छोड़कर 8 घंटे तक सेवाएं प्रदान करना।
2. उपरोक्त दिए गए मेनू आइटम, सेवा यूनिट, संख्या और मात्रा केवल सांकेतिक हैं और आवश्यकतानुसार भिन्न हो सकती । केवल वास्तविक पर भुगतान।

भाग- ग - सामग्री की आपूर्ति (अनुमानित प्रति वर्ष)

क्रम	मात्रा	यूनिट	मद का विवरण	दर	यूनिट	राशि रु. में
क्रम	मात्रा	यूनिट	मद का विवरण	दर	यूनिट	राशि रु. में
1	1000	प्रत्येक	मिनरल वॉटर 200 मिली		प्रत्येक	
2	500	प्रत्येक	मिनरल वॉटर 500 मिली		प्रत्येक	
3	2500	प्रत्येक	रियल जूस टेट्रा पैक		प्रत्येक	
कुल- भाग- ग - सामग्री की आपूर्ति ₹						

नोट: Note: Rates to be quoted as per MRP Rates will be applicable if it is changed by manufacturer.

एमआरपी दरों के अनुसार दरों को उद्धृत किया जाएगा और निर्माता द्वारा बदला गया दर लागू होगा।

प्रति यूनिट/कर्मचारी न्यूनतम वेतन - दर विश्लेषण		
क्रमांक	जनबल का विवरण	प्रति सेवा यूनिट प्रति दिन
।	प्रबंधक सेवा - कुशल	रुपये में

a	न्यूनतम वेतन + परिवर्तनीय डीए	
b	ईपीएफ @	
c	ईएसआई @	
d	बोनस @ 8.33 % of (a)	
e	प्रति दिन यूनिफॉर्म प्रभार	
f	कामगार मुआवजा अधिनियम के अनुसार समूह बीमा	
g	जोड़ें: कंपनी का लाभ/ रु. में ओवरहेड शुल्क प्रति यूनिट	
	कुल	
II	पर्यवेक्षी सेवा - अर्द्ध कुशल	रुपये में
a	न्यूनतम वेतन + परिवर्तनीय डीए	
b	ईपीएफ @	
c	ईएसआई @	
d	बोनस @ 8.33 % of (a)	
e	प्रति दिन यूनिफॉर्म प्रभार	
f	कामगार मुआवजा अधिनियम के अनुसार समूह बीमा	
g	जोड़ें: कंपनी का लाभ/ रु. में ओवरहेड शुल्क प्रति यूनिट	
	कुल	
III	श्रम सेवा (यूटिलिटि) - अकुशल	रुपये में
a	न्यूनतम वेतन + परिवर्तनीय डीए	
b	ईपीएफ @	
c	ईएसआई @	
d	बोनस @ 8.33 % of (a)	
e	प्रति दिन यूनिफॉर्म प्रभार	
f	कामगार मुआवजा अधिनियम के अनुसार समूह बीमा	
g	जोड़ें: कंपनी का लाभ/ रु. में ओवरहेड शुल्क प्रति यूनिट	
	कुल	

श्रम और रोजगार मंत्रालय आदेश के अनुसार श्रम के लिए उद्धृत दरें

आदेश सं.: ______________________________ दिनांक ______________

एक सेवा यूनिट का अर्थ है ठेकेदार द्वारा लगाए गए कार्मिकों द्वारा आधे घंटे के दोपहर के भोजन के ब्रेक को छोड़कर 8 घंटे तक सेवाएं प्रदान करना।

END of BID

****

Signature
Seal